



# सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 27 मई, 2003 ई0

ज्येष्ठ 06, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 180/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003

देहरादून, 27 मई, 2003

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2002 पर दि0 16-04-03 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 10, सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2003  
(उत्तरांचल अधिनियम सं0 10, सन् 2003)

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) अध्यादेश, 2002 का प्रतिस्थानी

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम,  
और प्रारम्भ



(2) यह 31 दिसम्बर, 2002 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

मूल अधिनियम की  
धारा 2 का  
संशोधन

2. उत्तरांचल राज्य के संबंध में उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 2 में अंक तथा शब्द "31 दिसम्बर, 2002 तक" के स्थान पर अंक तथा शब्द "31 दिसम्बर 2003 तक" रख दिये जायेंगे।

निरसन एवं  
व्यवृत्ति

3. उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश, 2002 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

आज्ञा से,

भरोसी लाल,  
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal [Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpakalik Vyavastha) Act, 1972] Adaptation & Modification Order, 2002 (First Amendment) Act, 2003 (Uttaranchal Adhinyam Sankhya 10 of 2003) for general information :

No. 180/Vidhayee and Sansadiya Karya/2003  
Dated Dehradun, May 27, 2003

NOTIFICATION

Miscellaneous

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on April 16, 2003.

THE UTTARANCHAL [THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI SAMITI (ALPAKALIK VYAVASTHA) ACT, 1972] ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2002 (FIRST AMENDMENT) ACT, 2003  
(UTTARANCHAL ACT No. 10 OF 2003)

AN  
ACT

Replacing Bill of the Uttaranchal [The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpakalik Vyavastha) Adhinyam, 1972] Adaptation & Modification Order, 2002 (First Amendment) Ordinance, 2002.

It is HEREBY enacted in the Fifty-Fourth Year of the Republic of India as follows :-

Short title &  
commencement

1. (1) This Act may be called the Uttaranchal [Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpakalik Vyavastha) Adhinyam, 1972] Adaptation and Modification Order, 2002 (First Amendment) Act, 2003.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 31, 2002.

Amendment of  
section 2 of the  
Principal Act

2. In section 2 of the Uttaranchal [The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpakalik Vyavastha) Adhinyam, 1972] Adaptation and Modification Order, 2002 for the words and figures "till December 31, 2002", the words and figures "till December 31, 2003 shall be substituted.

Repeal and  
savings

3. The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpakalik Vyavastha) Adhinyam, 1972 Adaptation and Modification Order, 2002 (Uttaranchal Amendment) Adhyadesh, 2002 is hereby repealed.

By Order,

BHAROSI LAL,  
Secretary.